सत्यमेव जयते

सप्तदश
बिहार विधान सभा
की
निवेदन समिति
का
12वाँ प्रतिवेदन

सप्तदश बिहार विधान सभा के सत्र में प्राप्त समाज कल्याण विभाग से संबंधित निवेदन संख्या 108/21, 134/21, 157/21, 427/21 एवं 581/21 पर प्रतिवेदन।

(दिनांक 11 जुलाई, 2023 को सदन में उपस्थापित)

विषय–सूची

	पृष्ठ
1. निवेदन समिति के सदस्यों की सूची	क
2. सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची	ख
3. प्राक्कथन	ग
4. प्रतिवेदन–I	1
परिशिष्ट	2–4
5. प्रतिवेदन–II	5
परिशिष्ट	6–8
6. प्रतिवेदन–III	9
परिशिष्ट	10–12
7. प्रतिवेदन–IV	13
परिशिष्ट	14–16
8. प्रतिवेदन–V	17
परिशिष्ट	18–20

बिहार विधान सभा सचिवालय

सप्तदश बिहार विधान सभा के वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए गठित निवेदन समिति के माननीय सदस्यों की सूची––

सभापति

1. श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन	स०वि०स०

सदस्यगण

1. श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह	स०वि०स०
2. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता	स०वि०स०
3. श्री राहुल तिवारी	स०वि०स०
4. श्री बच्चा पाण्डेय	स०वि०स०
5. श्री रामविलास कामत	स०वि०स०
6. श्री (ई०) शशि भूषण सिंह	स०वि०स०
7. श्री हरिशंकर यादव	स०वि०स०
8. श्री कुंदन कुमार	स०वि०स०
9. श्री श्रीकान्त यादव	स०वि०स०
10. श्री कुमार शैलेन्द्र	स०वि०स०
11. श्री विजय कुमार	स०वि०स०
12. श्री राजेश कुमार सिंह	स०वि०स०
13. श्री मुकेश कुमार रौशन	स०वि०स०
14. श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता	स०वि०स०

बिहार विधान सभा सचिवालय

सभा सचिवालय के पदाधिकारीगण/कर्मचारीगण

1. श्री पवन कुमार पाण्डेय	प्रभारी सचिव
2. श्री पवन कुमार सिन्हा	प्रभारी निदेशक
3. श्री मो0 शमीम अहमद	अवर–सचिव
4. श्री छोटे पासवान	प्रभारी अवर–सचिव
5. श्रीमती प्रेरणा कुमारी	सहायक
6. श्री प्रवीण कुमार	सहायक
7. श्री रतन कुमार रतन	कनीय लिपिक

प्राक्कथन

मैं, सभापति, निवेदन समिति, बिहार विधान सभा की हैसियत से सप्तदश बिहार विधान सभा में समाज कल्याण विभाग से संबंधित निवेदनों पर निवेदन समिति का 12वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

निवेदन के संबंध में विचार–विमर्श तथा कार्यान्वयन मुख्य समिति के द्वारा किया गया है।

प्रतिवेदन तैयार करने में पूरी निष्ठा और समर्पण से सहयोग करने के लिए समिति के सभी माननीय सदस्यों, सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ ।

(ह0) अस्पष्ट,
सभापति,
निवेदन समिति,
बिहार विधान सभा, पटना।

प्रतिवेदन–I

श्री रामबली सिंह यादव, स0वि0स0 से प्राप्त निवेदन संख्या 108/21

वृद्धा पेंशन के लिए ऑनलाईन आवेदन करने का प्रावधान किया गया है। समाज कल्याण विभाग का साईट पर लिख रहा है कि जहानाबाद, सीतामढ़ी और समस्तीपुर के लाभार्थी का (एस0एस0पी0एम0आई0एस0) में पंजीकरण अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है।

अतः सदन के माध्यम से साईट खुलवाकर वृद्धजनों को आवेदन करने का इन जिलों में भी मौका दिलाने का निवेदन किया गया है। (परिशिष्ट–1)

श्री रामबली सिंह यादव, स0वि0स0 से प्राप्त उपर्युक्त विषयक निवेदन को सदन की सहमति के उपरान्त प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना को सभा सचिवालय के पत्रांक 1866, दिनांक 19 मार्च, 2021 (परिशिष्ट–2) द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया।

समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 905, दिनांक 21 जून, 2023 (परिशिष्ट–3) के द्वारा इस निवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। इस अनुपालन प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि जहानाबाद, सीतामढ़ी और समस्तीपुर जिला में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अन्तर्गत एक अन्य साफ्टवेयर SERVICE PLUS (सर्विस प्लस) के माध्यम से पेंशन की स्वीकृति हेतु एक माह के लिए पायलट किया गया था। पायलट के उपरान्त जिलों में पुनः एस0एस0पी0एम0आई0एस0 साफ्टवेयर पर ही पेंशन की स्वीकृति किया जा रहा है। वर्तमान में जहानाबाद, सीतामढ़ी और समस्तीपुर सहित राज्य के सभी जिलों में एस0एस0पी0एम0आई0एस0 का साईट खुला हुआ है एवं इसके माध्यम से पेंशन की स्वीकृति दी जा रही है।

समिति का निर्णय

दिनांक 23 जून, 2023 को समिति की बैठक हुई। समिति की बैठक में विभागीय ज्ञापांक 905, दिनांक 21 जून, 2023 के आलोक में निवेदन संख्या 108/21 को कार्यान्वित माना गया।

परिशिष्ट–1

श्री रामबली सिंह यादव, स०वि०स० से प्राप्त निवेदन संख्या 108/2021

वृद्धापेंशन के लिए ऑनलाईन आवेदन करने का प्रावधान किया गया है। समाज कल्याण विभाग का साईट पर लिख रहा है कि "जहानाबाद, सीतामढ़ी और समस्तीपुर के लाभार्थी का (एस०एस०पी०एम०आई०एस०) में पंजीकरण अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है।"

अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि साईट खुलवाकर वृद्धजनों को आवेदन करने का इन जिलों में भी मौका दें।

परिशिष्ट–2

सं0 2 नि0–108/2021–1866/वि0 स0

बिहार विधान सभा सचिवालय

प्रेषक

अरविन्द कुमार मिश्र,
अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

सेवा में

प्रधान सचिव,
समाज कल्याण विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना, दिनांक 19 मार्च, 2021 (ई0)।

विषय—सदन में प्रस्तुत किए गए निवेदन संख्या 108/2021 का उत्तर भेजने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम, 292(घ) के अन्तर्गत श्री रामबली सिंह यादव, स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत एवं सभा द्वारा दिनांक 1 मार्च, 2021 को पारित निवेदन को पार पृष्ठ पर अंकित करते हुए आपसे अनुरोध करना है कि पत्र प्राप्ति के 10 दिनों के अन्दर वांछित उत्तर माननीय सदस्य को भेज दिया जाये तथा उसकी एक प्रति सचिव, बिहार विधान सभा को निश्चित रूप से निवेदन समिति के विचारार्थ उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाये।

विश्वासभाजन,
अरविन्द कुमार मिश्र,
अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

परिशिष्ट–3

श्री रामबली सिंह यादव, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 1 मार्च, 2021 को सदन में प्रस्तुत किये गये निवेदन संख्या 108/2021 का उत्तर भेजने के संबंध में ।

प्रश्न सामग्री

वृद्धापेंशन के लिए ऑनलाईन आवेदन करने का प्रावधान किया गया है। समाज कल्याण विभाग का साईट पर लिख रहा है कि "जहानाबाद, सीतामढ़ी और समस्तीपुर के लाभार्थी का (एस0एस0पी0एम0आई0एस0) में पंजीकरण अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है।"

अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि साईट खुलवाकर वृद्धजनों को आवेदन करने का इन जिलों में भी मौका दें।

उत्तर सामग्री

जहानाबाद, सीतामढ़ी और समस्तीपुर जिला में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अन्तर्गत एक अन्य सॉफ्टवेयर SERVICE PLUS (सर्विस प्लस) के माध्यम से पेंशन की स्वीकृति हेतु एक माह के लिए पायलट किया गया था। पायलट के उपरान्त जिलों में पुनः एस0एस0पी0एम0आई0एस0 सॉफ्टवेयर पर ही पेंशन की स्वीकृति किया जा रहा है।

वर्तमान में जहानाबाद, सीतामढ़ी और समस्तीपुर सहित राज्य के सभी जिलों में एस0एस0पी0एम0आई0एस0 का साईट खुला हुआ है एवं इसके माध्यम से पेंशन की स्वीकृति दी जा रही है।

प्रतिवेदन–II

श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद, स०वि०स० से प्राप्त निवेदन संख्या 134/2021

पूर्णियाँ जिलान्तर्गत वायसी प्रखंड में पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्त नौकरशाह को बीस हजार से लाखों रुपये मासिक पेंशन प्रति व्यक्ति को दिया जा रहा है। वृद्धा पेंशन हेतु 400–500 रुपये मासिक पेंशन दिया जाना वृद्धजनों के हित में समान प्रतीत नहीं होता है। वृद्ध पेंशन योजना परवरिश के उद्देश्य से दिया जाता है।

अतः जनहित में वृद्ध लोगों को परवरिश के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह स्वीकृत करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन किया गया है। (परिशिष्ट–4)

श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद, स०वि०स० से प्राप्त उपर्युक्त विषयक निवेदन को सदन की सहमति के उपरान्त प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना को सभा सचिवालय के पत्रांक 1912, दिनांक 23 मार्च, 2021 (परिशिष्ट–5) द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया।

समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 891, दिनांक 19 जून, 2023 (परिशिष्ट–6) के द्वारा इस निवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। इस अनुपालन प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि बिहार राज्य के कुल 96.43 लाख पेंशनधारियों को मासिक पेंशन भुगतान किया जा रहा है। राज्य में पेंशन भुगतान हेतु वार्षिक लगभग 5,907 करोड़ (पाँच हजार नौ सौ सात करोड़) रुपये का व्यय किया जाता है, जिसमें भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 1,341 करोड़ (एक हजार तीन सौ इक्तालीस करोड़) रुपये ही पेंशन भुगतान के लिए प्राप्त होता है, शेष लगभग 4,566 करोड़ (चार हजार पाँच सौ छियासठ करोड़) रुपये प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

वर्तमान में दर वृद्धि को कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

समिति का निर्णय

दिनांक 23 जून, 2023 को समिति की बैठक हुई। समिति की बैठक में विभागीय ज्ञापांक 891, दिनांक 19 जून, 2023 के आलोक में निवेदन संख्या 134/21 को कार्यान्वित माना गया ।

परिशिष्ट–4

श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद, स0वि0स0 से प्राप्त निवेदन संख्या 134/2021

पूर्णियाँ जिलान्तर्गत वायसी प्रखण्ड में पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्त नौकरशाह को बीस हजार से लाखों रुपये मासिक पेंशन प्रति व्यक्ति को दिया जा रहा है। वृद्धा पेंशन हेतु 400–500 रुपये मासिक पेंशन दिया जाना वृद्धजनों के हित में समान प्रतीत नहीं होता है। वृद्ध पेंशन योजना परवरिश के उद्देश्य से दिया जाता है।

अतः जनहित में वृद्ध लोगों को परवरिश के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये स्वीकृत प्रतिमाह स्वीकृत करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ।

परिशिष्ट–5

सं0 2 नि0–134/2021–1912/वि0 स0

बिहार विधान सभा सचिवालय

प्रेषक

अरविन्द कुमार मिश्र,
अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

सेवा में

प्रधान सचिव,
समाज कल्याण विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना, दिनांक 23 मार्च, 2021 (ई0)।

विषय—सदन में प्रस्तुत किए गए निवेदन संख्या 134/2021 का उत्तर भेजने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम, 292(घ) के अन्तर्गत श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद, स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत एवं सभा द्वारा दिनांक 2 मार्च, 2021 को पारित निवेदन को पार पृष्ठ पर अंकित करते हुए आपसे अनुरोध करना है कि पत्र प्राप्ति के 10 दिनों के अन्दर वांछित उत्तर माननीय सदस्य को भेज दिया जाये तथा उसकी एक प्रति सचिव, बिहार विधान सभा को निश्चित रूप से निवेदन समिति के विचारार्थ उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाये ।

विश्वासभाजन,
अरविन्द कुमार मिश्र,
अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

परिशिष्ट–6

श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद, मा०स०वि०स० से प्राप्त निवेदन संख्या 134/2021 का उत्तर भेजने के संबंध में ।

प्रश्न सामग्री

पूर्णियाँ जिलान्तर्गत वायसी प्रखण्ड में पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्त नौकरशाह को बीस हजार से लाखों रुपये मासिक पेंशन प्रति व्यक्ति को दिया जा रहा है। वृद्धा पेंशन हेतु 400–500 रुपये मासिक पेंशन दिया जाना वृद्धजनों के हित में समान प्रतीत नहीं होता है। वृद्ध पेंशन योजना परवरिश के उद्देश्य से दिया जाता है।

अतः जनहित में वृद्ध लोगों को परवरिश के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह स्वीकृत करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ।

उत्तर सामग्री

बिहार राज्य में कुल 96.43 लाख पेंशनधारियों को मासिक पेंशन भुगतान किया जा रहा है। राज्य में पेंशन भुगतान हेतु वार्षिक लगभग 5,907 करोड़ (पाँच हजार नौ सौ सात करोड़) रुपये का व्यय किया जाता है, जिसमें भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 1,341 करोड़ (एक हजार तीन सौ इकतालीस करोड़) रुपये ही पेंशन भुगतान के लिए प्राप्त होता है, शेष लगभग 4,566 करोड़ (चार हजार पाँच सौ छियासठ करोड़) रुपये प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

वर्तमान में दर वृद्धि का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रतिवेदन–III

श्री राजेश कुमार, स0वि0स0 से प्राप्त निवेदन संख्या 157/21

बिहार के सभी जिले में 2015 से कन्या विवाह योजना की राशि बंद है।

अतः जल्द–से–जल्द कन्या विवाह योजना की राशि का भुगतान हेतु निवेदन किया गया है। (परिशिष्ट–7)

श्री राजेश कुमार, स0वि0स0 से प्राप्त उपर्युक्त विषयक निवेदन को सदन की सहमति के उपरान्त प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना को सभा सचिवालय के पत्रांक 2245, दिनांक 8 अप्रील, 2021 (परिशिष्ट–8) द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया ।

समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 1081, दिनांक 22 जुलाई, 2021 (परिशिष्ट–9) के द्वारा इस निवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। इस अनुपालन प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि बिहार के सभी जिलों में वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2020–21 तक मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हेतु बजट उपबंध के अंतर्गत व्यय की गयी राशि से संबंधित प्रतिवेदन निम्नवत है :–

वित्तीय वर्ष	योजना उदव्यय/बजट उपबंध	व्यय की गयी राशि (रुपये लाख में)
2015–16	6053.00	2685.44
2016–17	3900.00	2158.54
2017–18	4418.00	3815.87
2018–19	10411.62	4651.40
2019–20	4979.00	4036.75
2020–21	6700.00	2983.55

इस प्रकार सूचित करना है कि वर्ष 2015 से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि लाभुकों को प्रदान की जा रही है।

समिति का निर्णय

दिनांक 23 जून, 2023 को समिति की बैठक हुई। समिति की बैठक में विभागीय ज्ञापांक 1081, दिनांक 22 जुलाई, 2021 के आलोक में निवेदन संख्या 157/21 को कार्यान्वित माना गया।

परिशिष्ट–7

श्री राजेश कुमार, स0वि0स0 से प्राप्त निवेदन संख्या 157/2021

बिहार के सभी जिले में 2015 से कन्या विवाह योजना की राशि बन्द है।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जल्द–से–जल्द कन्या विवाह योजना की राशि को भुगतान हेतु विमुक्त करावे।

परिशिष्ट–8

सं0 2 नि0–157/2021–2245/वि0 स0

बिहार विधान सभा सचिवालय

प्रेषक

अरविन्द कुमार मिश्र,
अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

सेवा में

प्रधान सचिव,
समाज कल्याण विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना, दिनांक 8 अप्रील, 2021 (ई0)।

विषय—सदन में प्रस्तुत किए गए निवेदन संख्या 157/2021 का उत्तर भेजने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 292 (घ) के अन्तर्गत श्री राजेश कुमार, स0 वि0 स0 द्वारा प्रस्तुत एवं सभा द्वारा दिनांक 3 मार्च, 2021 को पारित निवेदन को पार पृष्ठ पर अंकित करते हुए आपसे अनुरोध करना है कि पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर वांछित उत्तर माननीय सदस्य को भेज दिया जाये तथा उसकी एक प्रति सचिव, बिहार विधान सभा को निश्चित रूप से निवेदन समिति के विचारार्थ उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाये।

विश्वासभाजन,
अरविन्द कुमार मिश्र,
अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

परिशिष्ट–9

बिहार विधान सभा में श्री राजेश कुमार, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 3 मार्च, 2021 को सदन में प्रस्तुत निवेदन संख्या 157/2021 का उत्तर।

निवेदन

बिहार के सभी जिले में 2015 से कन्या विवाह योजना की राशि बंद है।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जल्द–से–जल्द कन्या विवाह योजना की राशि को भुगतान हेतु विमुक्त करावें।

निवेदन का उत्तर

श्री राजेश कुमार, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 3 मार्च, 2021 को सदन में प्रस्तुत निवेदन संख्या 157/2021 के संदर्भ में सूचित करना है कि बिहार के सभी जिलों में वितीय वर्ष 2015–16 से 2020–21 तक मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हेतु बजट उपबंध के अंतर्गत व्यय की राशि से संबंधित प्रतिवेदन निम्नवत है :–

(रुपये लाख में)

वितीय वर्ष	योजना उदव्यय/बजट उपबंध	व्यय की गयी राशि
2015–16	6053.00	2685.44
2016–17	3900.00	2158.54
2017–18	4418.67	3815.87
2018–19	10411.62	4651.40
2019–20	4979.00	4076.75
2020–21	6700.00	2983.55

इस प्रकार सूचित करना है कि वर्ष 2015 से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि लाभुकों को प्रदान की जा रही है।

प्रतिवेदन–IV

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, स0वि0स0 से प्राप्त निवेदन संख्या 427/21

गोपालगंज जिलान्तर्गत कुचायकोट प्रखंड में बिहार सरकार द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। उक्त केन्द्रों पर सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की बाल विकास परियोजना, कुचायकोट के द्वारा सही ढंग से धरातल पर नहीं किया जा रहा है, जिससे छोटे–छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएँ सरकार की योजना से वंचित हो रहे हैं।

अतः उक्त योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित कराने हेतु निवेदन किया गया है। (परिशिष्ट–10)

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, स0वि0स0 से प्राप्त उपर्युक्त विषयक निवेदन को सदन की सहमति के उपरान्त प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना को सभा सचिवालय के पत्रांक 2926, दिनांक 1 जुलाई, 2021 (परिशिष्ट–11) द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया।

समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 142(मु0), दिनांक 26 जुलाई, 2021 (परिशिष्ट–12) के द्वारा इस निवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। इस अनुपालन प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि कुचायकोट परियोजना अन्तर्गत कार्यरत सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ लाभुकों को दिया जा रहा है। कुचायकोट परियोजना अन्तर्गत 4368 गर्भवती एवं धात्री 3276 अतिकुपोषित बच्चों, 10920 छः माह से 3 वर्ष तक के कुल 18564 लाभार्थियों को आँगनबाड़ी केन्द्र द्वारा दी जाने वाली सभी सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अन्तर्गत कुल 13262 लाभुकों को लाभ दिया जा चुका है तथा प्रधानमंत्री कन्या उत्थान योजना अन्तर्गत अबतक कुल 2888 लाभुकों को लाभ दिया गया है।

अतः कुचायकोट परियोजना में कोविड–19 संक्रमण के दौरान आँगनबाड़ी केन्द्र बंद रही है। इससे योजनाओं के संचालन में कतिपय कठिनाइयाँ आई हैं परन्तु उसके बावजूद आँगनबाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं द्वारा गृह भ्रमण के माध्यम से योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों को दिया जा रहा है।

समिति का निर्णय

दिनांक 23 जून, 2023 को समिति की बैठक हुई। समिति की बैठक में विभागीय ज्ञापांक 142(मु0), दिनांक 26 जुलाई, 2023 के आलोक में निवेदन संख्या 427/2021 को कार्यान्वित माना गया ।

परिशिष्ट–10

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, स0वि0स0 से प्राप्त निवेदन संख्या 427/21

गोपालगंज जिलान्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र संख्या 102, कुचायकोट प्रखण्ड में बिहार सरकार के द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। उक्त केन्द्रों पर सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कुचायकोट के द्वारा सही ढंग से धरातल पर नहीं किया जा रहा है, जिससे छोटे–छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएँ सरकार की योजना से वंचित हो रहे हैं।

अतः निवेदन के माध्यम से कुचायकोट प्रखण्ड के छोटे–छोटे बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं को सरकार के मूलभूत योजनाओं को सही ढंग से संचालित कराने का निवेदन करता हूँ।

परिशिष्ट–11

सं0 2 नि0–427/2021–2926/वि0 स0

बिहार विधान सभा सचिवालय

प्रेषक

अरविन्द कुमार मिश्र,
अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

सेवा में

प्रधान सचिव,
समाज कल्याण विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना, दिनांक 1 जनवरी, 2021 (ई0)।

विषय—सदन में प्रस्तुत किए गए निवेदन संख्या 427/2021 का उत्तर भेजने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 292 (घ) के अन्तर्गत श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, स0 वि0 स0 द्वारा प्रस्तुत एवं सभा द्वारा दिनांक 13 मार्च, 2021 को पारित निवेदन को पार पृष्ठ पर अंकित करते हुए आपसे अनुरोध करना है कि पत्र प्राप्ति के 10 दिनों के अन्दर वांछित उत्तर माननीय सदस्य को भेज दिया जाये तथा उसकी एक प्रति सचिव, बिहार विधान सभा को निश्चित रूप से निवेदन समिति के विचारार्थ उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाये ।

विश्वासभाजन,
अरविन्द कुमार मिश्र,
अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

परिशिष्ट–12

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, मा0स0वि0स0 से प्राप्त निवेदन संख्या 427/21

निवेदन

गोपालगंज जिलान्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र संख्या 102, कुचायकोट प्रखण्ड में बिहार सरकार के द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। उक्त केन्द्रों पर सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कुचायकोट के द्वारा सही ढंग से धरातल पर नहीं किया जा रहा है, जिससे छोटे–छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएँ सरकार की योजना से वंचित हो रहे हैं।

अतः निवेदन के माध्यम से कुचायकोट प्रखण्ड के छोटे–छोटे बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं को सरकार के मूलभूत योजनाओं को सही ढंग से संचालित कराने का निवेदन करता हूँ।

उत्तर

कुचायकोट परियोजना अन्तर्गत कार्यरत सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ लाभुकों को दिया जा रहा हैं। कुचायकोट परियोजना अन्तर्गत 4368 गर्भवती एवं धात्री, 3276 अतिकुपोषित बच्चों, 10920 छः माह से 3 वर्ष तक के बच्चों कुल 18564 लाभार्थियों को आँगनबाड़ी केन्द्र द्वारा दी जाने वाली सभी सेवायें उपलब्ध करायी जा रही हैं ।

प्रधानमंत्री मातृवंदना (PMMVY) योजना अन्तर्गत कुल 13262 लाभुकों को लाभ दिया जा चुका हैं तथा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अन्तर्गत अबतक कुल 2888 लाभुकों को लाभ दिया गया हैं।

अतः कुचायकोट परियोजना में कोविड 19 संक्रमण के दौरान आँगनबाड़ी केन्द्र बंद रहे हैं। इससे योजनाओं के संचालन में कतिपय कठिनाईयाँ आई हैं परंतु उसके बावजूद आँगनबाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं द्वारा गृह भ्रमण के माध्यम से योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों को दिया जा रहा है।

प्रतिवेदन–V

श्री प्रतिमा कुमारी, स०वि०स० से प्राप्त निवेदन संख्या 581/21

वैशाली जिलान्तर्गत राजापाकर विधान सभा के श्री गाँधी बांके बिहारी अनिल सिंह उच्च विद्यालय, महौलिया के परिसर में 80 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग दम्पत्ति लावारिश स्थिति में पड़े हुए हैं। उनकी देख–रेख करने वाला कोई नहीं है। स्थानीय स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

अतः बुजुर्ग दम्पति को सरकार को अपने संरक्षण में लेकर पालन–पोषण करवाने हेतु निवेदन किया गया है। (परिशिष्ट–13)

श्रीमती प्रतिमा कुमारी, स०वि०स० से प्राप्त उपर्युक्त विषयक निवेदन को सदन की सहमति के उपरान्त प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना को सभा सचिवालय के पत्रांक 322, दिनांक 9 जुलाई, 2021 (परिशिष्ट–14) द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया ।

समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 900, दिनांक 21 जून, 2023 (परिशिष्ट–15) के द्वारा इस निवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। इस अनुपालन प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, देसरी द्वारा स्थल जाँच के क्रम में राजापाकर, विधान सभा के अन्तर्गत श्री गाँधी बाँके बिहारी अनिल सिंह, उच्च विद्यालय, महौलिया के परिसर में बुजुर्ग दंपत्ति के लावारिस स्थिति में पड़े होने की स्थल जाँच किया गया। जाँच के क्रम में पाया गया कि विद्यालय परिसर में एक कमरा में श्री विमल कुमार यादव रह रहे हैं, जो अविवाहित हैं और अपने सगे संबंधियों के बारे में सही–सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। साथ ही वो फाईलेरिया रोग से ग्रसित हैं। उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख (ड्राईविंग लाईसेंस में जन्म तिथि 1 मई, 1976) के अनुसार 47 वर्ष के हैं।

उन्हें उचित देखभाल एवं आश्रय हेतु रैन बसेरा आश्रय स्थल, त्रिमूर्त्ति चौक, हाजीपुर में आवासित कर दिया गया है।

समिति का निर्णय

दिनांक 23 जून, 2023 को समिति की बैठक हुई। समिति की बैठक में विभागीय ज्ञापांक 900, दिनांक 21 जून, 2023 के आलोक में निवेदन संख्या 551/2022 को कार्यान्वित माना गया ।

परिशिष्ट–13

श्रीमती प्रतिमा कुमारी, स0वि0स0 से प्राप्त निवेदन संख्या 581/21

वैशाली जिलान्तर्गत राजापाकर विधान सभा क्षेत्र के श्री गाँधी बाँके बिहारी अनिल सिंह उच्च विद्यालय, भटौलिया के परिसर में 80 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग दम्पत्ति लावारिस स्थिति में पड़े हुए हैं। उनकी देख–रेख करने वाला कोई नहीं है। स्थानीय स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

अतः उपर्युक्त बुजुर्ग दम्पत्ति को सरकार अपने संरक्षण में लेकर पालन–पोषण करें यह निवेदन करती हूँ।

परिशिष्ट–14

सं० 2 नि०–581/2021–3222/वि० स०

बिहार विधान सभा सचिवालय

प्रेषक

अरविन्द कुमार मिश्र,
अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

सेवा में

प्रधान सचिव,
समाज कल्याण विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना, दिनांक 9 जुलाई, 2021 (ई०)।

विषय—सदन में प्रस्तुत किए गए निवेदन संख्या 581/2021 का उत्तर भेजने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 292 (घ) के अन्तर्गत श्रीमती प्रतिमा कुमारी, स० वि० स० द्वारा प्रस्तुत एवं सभा द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2021 को पारित निवेदन को मार पृष्ठ पर अंकित करते हुए आपसे अनुरोध करना है कि पत्र प्राप्ति के 10 दिनों के अन्दर वांछित उत्तर माननीय सदस्य को भेज दिया जाये तथा उसकी एक प्रति सचिव, बिहार विधान सभा को निश्चित रूप से निवेदन समिति के विचारार्थ उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाये ।

विश्वासभाजन,
अरविन्द कुमार मिश्र,
अवर–सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

परिशिष्ट–15

सदन में प्रस्तुत किए गए निवेदन संख्या 581/2021 का उत्तर भेजने के संबंध में।

प्रश्न सामग्री

वैशाली जिलान्तर्गत राजापाकर विधान सभा क्षेत्र के श्री गाँधी बाँके बिहारी अनिल सिंह, उच्च विद्यालय, भटौलिया के परिसर में 80 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग दम्पत्ति लावारिस स्थिति में पड़े हुए हैं। उनकी देख–रेख करने वाला कोई नहीं है। स्थानीय स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

अतः उपर्युक्त बुजुर्ग दम्पत्ति को सरकार अपने संरक्षण में लेकर पालन–पोषण करें यह निवेदन करती हूँ ।

उत्तर सामग्री

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देसरी द्वारा स्थल जाँच के क्रम में राजापाकर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत श्री गाँधी बांके बिहारी अनिल सिंह उच्च विद्यालय, भटौलिया के परिसर में बुजुर्ग दम्पत्ति के लावारिस स्थिति में पड़े होने का स्थल जाँच किया गया। जाँच के क्रम में पाया गया कि विद्यालय परिसर के एक कमरा में श्री विमल कुमार यादव रह रहे हैं जो अविवाहित हैं एवं अपने सगे संबंधियों के बारे में वे सही–सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। साथ ही वो फाईलेरिया रोग से ग्रसित है। उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख (ड्राईविंग लाईसेंस में जन्मतिथि 1 मई, 1976) के अनुसार वे 47 वर्ष के हैं।

उन्हें उचित देखभाल एवं आश्रय हेतु रैन बसेरा आश्रय स्थल, त्रिमूर्ति चौक, हाजीपुर में आवासित कर दिया गया है।

बि0स0मु0, 32(एल0ए0)–2023–24–डी0टी0पी0–300

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2023